न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 177/2011 दायर दिनाँक 11.08.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामनारायण पुत्र हनुमान 2. चेलचन्द पुत्र दीपाराम 3. सुरेश पुत्र दीपाराम 4. अशोक पुत्र दीपाराम 5. राधा बैवा दीपाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 6. प्रबन्धक युको बैंक शाखा डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री कैशव औझा, वकील, वादी।
2. श्री अजीतसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 19.04.2018

शरहद मौजा फोगडी तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 71 रकबा 47.11 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 0.05 बीघा, के बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 13.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया, तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 594 दिनाँक 23.03.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार ने आपत्ति पेश नहीं की है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2011/177
दायर दिनाँक 11.08.2011, निर्णय दिनाँक 19.04.2018
मालचन्द बनाम रामनारायण, वगैरा।

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 594 दिनाँक 23.03.2018 को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

दावा डिक्री सादिर कर मौजा फोगडी के आराजी खसरा संख्या 71 रकबा 47.11 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 0.05 बीघा, का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 594 दिनाँक 23.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 594 दिनाँक 23.03.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.04.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 177/2011 दायर दिनॉक 11.08.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामनारायण पुत्र हनुमान 2. चेलचन्द पुत्र दीपाराम 3. सुरेश पुत्र दीपाराम 4. अशोक पुत्र दीपाराम 5. राधा बैवा दीपाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 6. प्रबन्धक युको बैंक शाखा डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनॉक 19.04.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री कैशव औझा, वकील, वादी व श्री अजीतसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर मौजा फोगडी के आराजी खसरा संख्या 71 रकबा 47.11 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 0.05 बीघा, का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 594 दिनॉक 23.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 594 दिनॉक 23.03.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................... .–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 19.04.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
	–		खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—177—2011 / रीडर / 2018 / 431 दिनाँक 26/4/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामनारायण पुत्र हनुमान 2. चेलचन्द पुत्र दीपाराम 3. सुरेश पुत्र दीपाराम 4. अशोक पुत्र दीपाराम 5. राधा बैवा दीपाराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान 6. प्रबन्धक युको बैंक शाखा डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2011/177** दायर दिनांक **11.08.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. रामनारायण पुत्र हनुमान 2. चेलचन्द्र पुत्र दीपाराम 3. सुरेश पुत्र दीपाराम 4. अशोक पुत्र दीपाराम 5. राधा बैवा दीपाराम जाति ब्राहम्ण निवासी फोगडी तहसील डीडवाना 6. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा — 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः— पक्षकारान

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनांक **13.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 71 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 162 रकबा 05 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा वाके सरहद फोगडी है। इन खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की पैतृक कब्जेकाश्त व संयुक्त खातेदारी की है। उक्त वर्णित भूमि खेत खसरा सं0 71 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 162 रकबा 05 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा में वादी का संभावित 1/3 भाग, प्रतिवादी सं0 01 का 1/3 भाग व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 का 1/3 भाग है। उक्त भूमि के दक्षिण की सींव पर पूर्व से पश्चिम आम सडक है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 71 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 162 रकबा 05 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा का वादी व प्रतिवादीगण के बीच नजरी नक्शा दावा में प्रदर्शित बंटवारा अनुसार विधिवत बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के किया जाकर वादी को उसके संभावित 1/3 भाग की 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि बंट में दी जाकर राजस्व रेकर्ड में स्वतंत्र खातेदारी अमल दरामद करवाई जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2011/177
दायर दिनांक 11.08.2011, प्राथमिक निर्णय दिनांक 13.06.2017
मालचन्द बनाम रामनारायण, वगैरा।

पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प दीनदारपुरा में उपस्थित हुए। पक्षकारान प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद फोगडी के विवादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद फोगडी में खसरा सं0 71 रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा व खसरा सं0 162 रकबा 05 बिस्वा कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 13.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प दीनदारपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner